257

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या- /X-2-2014-12(66)/2006

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 17 फरवरी, 2014

विषयः- वन विभाग के अनुदान सं0-27 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनिधानित योजना "प्रोजेक्ट एलिफैंट" के अन्तर्गत पूंजीगत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु भारत सरकार से अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-284/XXVII(1)/2013 दि0 30 मार्च, 2013 एवं शासनादेश सं0 413/XXVII(1)/2013 दि0 10 जून, 2013 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड के प0सं0-950/3-6(प्रोजेक्ट एलिफैंट) दि0 09 दिसम्बर, 2013 के साथ संलग्न प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड के प0सं0-1681/3-6 दि0 04 दिसम्बर, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग की आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनिधानित योजना **"प्रोजेक्ट एलिफैंट"** में चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्राविधानित आय-व्ययक के सापेक्ष पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-F.N.1-11/2009-PE दि0 14 नवम्बर, 2013 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में वास्तविक अवमुक्त धनराशि ₹ 115.068 लाख के सापेक्ष योजना के पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत ₹ **8,30,000/- (₹ आठ लाख तीस हजार** मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-F.N.1-11/2009-PE दि0 14 नवम्बर, 2013 द्वारा निर्धारित कार्यों हेतु ही किया जायेगा एवं किसी अन्य मद तथा योजना हेतु इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।
2. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-284/XXVII(1)/2013 दि0 30 मार्च, 2013 एवं शासनादेश सं0 413/XXVII(1)/2013 दि0 10 जून, 2013 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण/मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
4. आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि तत्काल का आहरण वितरण अधिकारियों को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
5. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
6. बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय।
7. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
8. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।
9. मानक मदों के आहरण प्रणाली के समबन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः...2

10. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय।

11. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

12. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1402270098 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।

13. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यो की सूचना यथाआवश्यकतानुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1638/XXX-1-12(25)/2011, दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट यदि कोई हो पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जाएगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जाएगा ।

2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय 02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110 वन्य जीवन परिरक्षण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 02 प्रोजेक्ट एलीफैंट के मानक मद 24-वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जाएगा। इस प्रयोजन हेतु ऑनलाइन बजट अलॉटमेंट की हार्ड कॉपी संलग्न है।

3- ये आदेश वित्त विभाग द्वारा पत्रावली में प्रदान की गयी सहमति के क्रम मे निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मनोज चन्दन)
अपर सचिव

संलग्नक-यथोपरि।

संख्या-629 /X-2-2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सहायक महा निरीक्षक वन (पी0इ0), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-F.N.1-11/2009-PE दि0 14 नवम्बर, 2013 के उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ।
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
3. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
12. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

(मनोज चन्दन)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - 129 X-2-2014-12(66)/2006 अलोटमेंट आई डी - S1402270098

अनुदान संख्या - 027 आवंटन पत्र दिनांक -10-Feb-2014

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक 4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय

02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन

110 - वन्य जीवन परिरक्षण

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित यो

02 - प्रोजेक्ट एलीफैन्ट

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	0	830000	830000
	0	**830000**	**830000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 830000